क्रमांक **335-ज-(II)-84/9369**.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, श्रीमती कपूरी देवी, विधवा श्री रिछपाल सिंह, गांव घनून्दा, तहसील व जिला महेन्द्रगढ़ को खरीफ, 1979 से 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक **348-ज-(II)-84/9373**.—श्री महां सिंह, पुत्र श्री नोनदिया गांव मोरखेड़ी, तहसील व जिला रोहतक, की दिनांक 3 मई, 1983 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए) (1) तथा 3(1) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री महां सिंह को मुब्लिग 300 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 2778-ज-II-73/37843, दिनांक 17 दिसम्बर, 1973 तथा अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-(I)-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती भगवानी के नाम खरीफ, 1983 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

क्रमांक **360-ज(II)-84/9377**.—श्री मनोहर लाल, पुत्र श्री नेकी राम, गांव ऊन, तहसील दादरी, जिला भिवानी, की दिनांक [illegible] को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री मनोहर लाल की मुब्लिग 300 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे पंजाब/हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 8922-जे.-एन.-III-66/15723, दिनांक 2 जुलाई, 1966, अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 तथा 1789-ज-I-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979, द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती छोटो के नाम रबी, 1984 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

दिनांक 30 मार्च, 1984

क्रमांक **321-ज-(II)-84/9451**.—श्री अर्जुन सिंह, पुत्र श्री मोहूं, गांव पाकसमां, तहसील व जिला रोहतक की दिनांक 18 फरवरी, 1976 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री अर्जुन सिंह की मुब्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1877-ज-II-71/5787, दिनांक 14 फरवरी, 1972 द्वारा मन्जूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती कतोरी देवी के नाम खरीफ, 1976 से 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1982 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

दिनांक 9 अप्रैल, 1984

क्रमांक **411-ज(II)-84/10214**.—श्री फूल सिंह, पुत्र श्री मोहर सिंह, गांव भागेश्वरी, तहसील दादरी, जिला भिवानी, की दिनांक 16 नवम्बर, 1982 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री फूल सिंह की मुब्लिग 300 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे पंजाब/हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 15732-जे-एन-III-66/18003, दिनांक 18 अगस्त, 1966, अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 तथा 1789-जे-I-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा मन्जूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती महती के नाम खरीफ, 1983 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।